राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3165/2025

ललिता मेधववाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अति मुख्य सचिव, स्कुल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.06.2025
आदेश की दिनांक : 01.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II, अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोतीपुरा, ब्लॉक छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी प्रतापगढ़ जिले से बाहर की रहने वाली है। अपीलार्थी का जिस जगह पदस्थापन हे वह उसके गृह निवास से 60 कि0मी0 दूर है जबकि अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी कार्मिक है। अपीलार्थी के सास–ससुर वृद्ध है एवं अपीलार्थी का पति प्राईवेट व्यवसाय करता है अपीलार्थी के बच्चे छोटे है, जो कि अध्ययनरत है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना स्थानान्तरण करवाने हेतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बगवास ब्लाक प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ में पद रिक्त है, पर स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया। अपीलार्थी के उक्त अभ्यावेदन पर आज दिनांक तक कोई विचार नहीं किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक

27.02.2025 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन दिनांक 09.01.2025 का निस्तारण करवाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष